

एकल पीठ  
डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

24/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य ब्यक्ति  
पत्रावली का अन्वेषण किया। पत्रावली के अन्वेषण  
से पाया कि अधिनियम अध्याय का रिकॉर्ड नरिपे  
10.00 द्वारा लक्ष्य है। पत्रावली आई नं० दि० 19/12/24  
को पेश है।

सदस्य

राजस्थान मण्डल राजस्थान  
अजमेर

19/2/25

एकल पीठ

डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं  
प्रार्थी को आवान भगवाई गई। नावजूय आवान  
कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अयम टाजिरी  
अयम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया  
जाता है। पत्रा० नं० समस्त शुमार इकल बाद आवश्यक  
कार्यवाही दायित्व दफ्तर है।

आदेश सुनाया गया।



सदस्य

राजस्थान मण्डल राजस्थान  
अजमेर